

थाना कबरई पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ०नि० हरी कुमार सिंह मय हमराह कां० इन्द्रजीत कुमार व कां० अजीत कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त भोला पुत्र राम प्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम पहरा थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु०नं० 1774/18 धारा 434/447 IPC व 198A Z.L.R. Act के वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार करते हुये मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० हरी कुमार सिंह
2. कां० इन्द्रजीत कुमार
3. कां० अजीत कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

भोला पुत्र राम प्रसाद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम पहरा थाना कबरई जनपद महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित पुलिस टीम ने अभियान के तहत 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1. राजू चौरसिया पुत्र मोहनलाल चौरसिया उम्र 45 वर्ष निवासी मुहल्ला इमलीबरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित वारण्ट माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी मु0नं0 56/16 व मु0अ0सं0 929/2015 धारा 327 भादवि व 2. संदीप अग्रवाल पुत्र हरिकृष्ण अग्रवाल उम्र 35 वर्ष निवासी नारूपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित वारण्ट माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी मु0नं0 668/18 धारा 279/337/338 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तों को क्रमशः मुहल्ला इमलीबरा से व मुहल्ला नारूपुरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रामशंकर पाण्डेय थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 रावेन्द्र कुमार सोनकर
3. कां0 राहुल अग्निहोत्री



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गठित हुयी पुलिस टीम ने थानाहाजा में पंजीकृत मु0अ0सं0 565/2022 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5-क, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त साहिल कुरैसी पुत्र भोलू उर्फ निसार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मुहल्ला मुकेरीपुरा महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हाल निवास काशीराम कालोनी बिच्छू पहाड़िया महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, जिसको थानाक्षेत्र के अशोक नगर तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया 2. कां0 रामकुमार तिवारी

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण:-

वाँछित अभियुक्त साहिल कुरैसी पुत्र भोलू उर्फ निसार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मुहल्ला मुकेरीपुरा महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हाल निवास काशीराम कालोनी बिच्छू पहाड़िया महोबा थाना कोतवाली नगर महोबा



थाना खन्ना पुलिस टीम ने पीड़िता/अपहृता को सकुशल बरामद करते हुये सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश कुशवाहा द्वारा गठित की गयी उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित हुयी पुलिस टीम ने अभियान के तहत देखभाल क्षेत्र जांच पेंडिंग अहकामात पतारसी सुरागरसी करते हुए थानास्थानीय में पंजीकृत मु0अ0स0 24/23 धारा 363/366 भादवि के वांछित अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र रामभरोसे अहिरवार निवासी ग्राम अमिलिया थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर महोबा को रेलवे स्टेशन रागौल से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, पुलिस टीम की सक्रियता से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. का0 दीपक मौर्य
3. का0 नरेन्द्र कुमार
4. म0का0 आकांक्षा पटेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने 32 क्वार्टर अवैध शराब के साथ अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 धर्मराज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दो नफर अभियुक्त क्रमशः 1. श्यामू साहू पुत्र भूरा साहू उम्र 34 वर्ष नि0मु0 शास्त्री नगर थाना कबरई जिला महोबा, 2. सुरेन्द्र साहू पुत्र सत्तीदीन साहू उम्र 24 वर्ष नि0 मु0 अम्बेडकर नगर कस्बा कबरई थाना कबरई जनपद महोबा को छंगा तिराहा कबरई थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः एक-एक थैले मे 16-16 क्वार्टर देशी शराब झूम (तनु) मसालेदार बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 62/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 व मु0अ0सं0 63/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 धर्मराज
2. का0 धीरेन्द्र कुमार

बरामद सम्पत्ति:-

- 32 क्वार्टर अवैध देशी शराब



प्रेस विज्ञप्ति - थाना कोतवाली महोबा, जनपद-महोबा

थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला बडीहट निवासी गजराज यादव पुत्र स्व.रामेश्वर निवासी बडीहाट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा द्वारा अपने भांजे जितेन्द्र यादव पुत्र नारायण दास के गुम हो जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक **22.03.2023** को गुमशुदगी पंजीकृत कराई थी जिसकी जांच सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया चौकी प्रभारी भटीपुरा द्वारा सम्पादित की जा रही थी गुमशुदगी जांच के दौरान दिनांक **23.03.2023** को गुमशुदा जीतेन्द्र यादव की फिरौती के सम्बन्ध में **500000** (पांच लाख) रूपया की मांग की बात प्रकाश में आयी थी जिसके आधार पर गुमशुदगी को अपराध क्रमांक मु.अ.सं.-**116/23** धारा-**364ए** भादवि पर लाते हुये मुकदमा उपरोक्त में स्पेशल रिपोर्ट उच्चाधिकारीगण को प्रेषित करते हुये मुकदमे की विवेचना निरीक्षक अपराध गोपालचन्द्र कनौजिया के सुपुर्द की गयी तथा घटना का संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु थानास्तर पर क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में **04** टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे।

घटना के अनावरण के क्रम में भ्रमणशील टीमों को दिनांक **27.03.2023** को मुखबिर खास की सूचना पर एक बड़ी सफलता हासिल हुयी, मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा, निरीक्षक अपराध कोतवाली महोबा मय हमराह पुलिस बल व प्रभारी सर्विलांश/स्वॉट टीमों रेलवे ट्रैक के किनारे खजुराहों लाइन के पास पहुँचे तो दो व्यक्ति ट्रैक के किनारे मामना की तरफ ट्रैक के पास से पुलिस वालों को देखकर भागने लगे तत्पश्चात पुलिस बल के द्वारा दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुये पकड लिया जिनसे क्रमशः नाम पता पछुते हुये जामातलाशी ली गयी तो नितेन्द्र कुशवाहा उर्फ नितू पुत्र रमेश चन्द्र कुशवाहा

उम्र करीब **22** वर्ष नि⁰ मु⁰ राईनपुर थाना चरखारी जिला महोबा जिसकी जामा तलाशी एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल जियो फोन **next** रंग नीला तथा एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल **red mi 8a** रंग लाल जिसकी **display** आगे से टूटी हुई है तथा सूरज सेंगर पुत्र स्व. सुरेश सिंह उम्र करीब **22** वर्ष नि⁰ ग्राम दरौटा लालपुर थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर बताया जिसकी जामा तलाशी से एक एन्ड्रायड मोबाइल **tecno spark LC7** रंग हरा बरामद हुआ।

नितेन्द्र कुशवाहा से बरामद एन्ड्रायड मोबाइल जियो फोन **next** रंग नीला को चेक किया गया तो जानकारी हुई कि यह बरामद मोबाइल अपहर्त जीतेन्द्र का है तथा उक्त दोनो व्यक्तियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि यह मोबाइल मृतक जीतेन्द्र यादव का है उक्त दोनो व्यक्तियों से कडाई से पूछताछ के क्रम में नितेन्द्र ने बताया कि वह जितेन्द्र यादव से **blued gay dating app** के माध्यम से सम्पर्क में आया था।

नितेन्द्र कुशवाहा पुत्र रमेशचन्द्र कुशवाहा निवासी मुहल्ला राइनपुर चरखारी जनपद महोबा ने पूतांछ में पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में महोबा शहर में ही रहने के कारण जीतेन्द्र यादव से मुलाकात होती रहती थी जिससे बातों में ही जानकारी मिली की जीतेन्द्र यादव के पास करीब दस बीघा जमीन है। मुझे और सूरज दोनों को पैसों की जरूरत थी जिस पर मैंने और सूरज ने प्लान बना जितेन्द्र को दिनांक **22.03.23** को समय करीब **01** से **02** बजे के करीब रेलवे पुल मामना रोड के पास मिलने को बुलाया था जहां से पूर्व योजना के तहत अपहरण कर जितेन्द्र का मुँह दबाकर उसके हाथ पैर बाँधकर मामना रोड पर रेलवे क्रासिंग के नजदीक कामता सोनी निवासी ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा के मकान के एक कमरे में डाल दिया था जिसको मैंने दिनांक **20.03.23** को किराये पर लिया था तथा हम दोनों लोग इसी मकान में रहकर अपहरण का प्लान बनाये थे और वहीं से फिरौती की मांग

जितेन्द्र से करवायी थी, फिरौती की मांग पूरी नहीं होने पर तथा जीतेन्द्र को छोड़ने के बाद पुलिस द्वारा हम लोगो को पकड़े जाने का डर लग रहा था इसीलिये हम दोनों लोगो ने जितेन्द्र को रस्सी से गला घोटकर मार दिया तथा उसी कमरे में सब्बल से गढ़्ढा खोदकर दफना दिया तथा बाहर से ताला बन्द कर हम लोग चन्द्रिका देवी मंदिर के पास पूर्व से लिये हुए किराये के मकान में चले गये और अगले दिन दिनांक **23.03.23** को फिर मैंने जितेन्द्र के फोन से ही उसके मामा के फोन पर फोन करके पाँच लाख रुपये की फिरौती की पुनः मांग किया था इतने कहते हुये बताया कि आप लोगो हम दोनों के साथ चल कर जितेन्द्र की लाश, रस्सी व गढ़्ढा खोदने का सब्बल बरामद करा सकते है। इस सूचना को समस्त सम्बन्धित व फील्ड यूनिट को अवगत कराते हुये पकड़े गये व्यक्तियों की निशा देही पर अपहर्त जीतेन्द्र यादव के गड़े शव को उपजिलाधिकारी सदर महोबा, तहसीलदार सदर महोबा की मौजूदगी में नगरपालिका कर्मचारीगण द्वारा शव को खोदकर निकाला गया तत्पश्चात शव को कब्जा पुलिस लेते हुये पंचायतनामा कार्यवाही करायी जा रही है तथा अभियुक्तगण नीतेन्द्र व सूरज को जुर्म धारा-**364ए/302/201** भादवि से अवगत कराते हुये विधिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

पुलिस टीम का विवरण

1. निरीक्षक उपेन्द्र प्रताप सिंह **SHO** कोतवाली नगर महोबा
2. निरीक्षक गोपालचन्द्र कनौजिया निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली महोबा
3. उ0नि0 राहुल परमार प्रभारी सर्विलांश टीम
4. उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह प्रभारी स्वॉट टीम

5. मु0आ0 शरद प्रताप 6. कां0 अंशुल दुबे 7. कां0 दीपक वर्मा 8. कां0 नरेन्द्र सोनकर 9. कां0 निर्भय सिंह

आपराधिक इतिहास-

1. नीतेन्द्र कुशवाहा पुत्र रमेशचन्द्र कुशवाहा उम्र **22** वर्ष निवासी मुहल्ला राइनपुर चरखारी जनपद महोबा
मु.अ.सं. **116/23** धारा-**364ए/302/201** भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
मु.अ.सं. **268/18** धारा-**307/342/354** भादवि थाना चरखारी जनपद महोबा
मु.अ.सं. **53/23** धारा-**457/380** भादवि थाना चरखारी जनपद महोबा
2. सूरज सेंगर पुत्र स्व. सुरेश सिंह उम्र **22** वर्ष निवासी ग्राम दरौटा लालपुर थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर
मु.अ.सं. **116/23** धारा-**364ए/302/201** भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ मासिक विचार विमर्श गोष्ठी का किया गया आयोजन..

आज दिनांक 27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ समायिक विषयों पर परिचर्चा हेतु मासिक विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया। जनपद में अपराध नियंत्रण, शान्ति एवं कानून-व्यवस्था, क्षेत्रीय समस्याओं एवं पुलिसिंग में अपेक्षित सुधार आदि विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, इस दौरान किसी प्रकार की कोई शिकायत / समस्या प्रकाश में नहीं लायी गयी।

इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहित में प्राप्त सुझावों से जनपद की पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने में सहायता प्राप्त होगी साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुलिस के दृष्टिकोण से अवगत कराने तथा विचारों के आदान-प्रदान से एक-दूसरे को समझने में सहायता होगी।

इस दौरान मा० सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, जि०प० अध्यक्ष श्री जे०पी० अनुरागी, मा० सांसद प्रतिनिधि श्री राहुल अग्रवाल तथा चरखारी विधायक प्रतिनिधि श्री रोहित कटियार मौजूद रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा विशेष शिविर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के अन्तर्गत माँ चन्द्रिका महिला महाविद्यालय महोबा में बालिकाओं से संवाद स्थापित कर यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक, वितरित किये प्रमाण पत्र व निःशुल्क हेलमेट ।

आज दिनांक 27.03.2023 को माँ चन्द्रिका महिला महाविद्यालय महोबा में राष्ट्रीय सेवा योजना के 07 दिवसीय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विशेष शिविर के समापन अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर जनपद में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों की शपथ दिलायी गयी व हेलमेट की महत्ता के बारे में बताते हुये निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया तथा इस दौरान आयोजित हुये विशेष शिविर में उम्दा प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा बालिकाओं को बताया गया कि पैदल चलने वाले सड़क पर हमेशा बायीं ओर चले, स्कूली बच्चे निर्धारित बस स्टॉप से ही चढ़े व उतरें, उतरने के बाद दोनों तरफ देखकर सावधानी से आगे बढ़े तथा वाहन चालक शराब पीकर वाहन न चलाएं, ओवर स्पीडिंग न करें, दोपहिया वाहन चालक एवं सवारी हेलमेट अवश्य पहनें। लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के साथ नियमित रूप से हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट के प्रयोग हेतु प्रेरित करने की अपील की गयी।

इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती डॉ० ज्योति सिंह, प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री शिवपाल सिंह, यातायात कर्मी तथा अन्य सम्भ्रांत व्यक्ति व पत्रकार बन्धु मौजूद रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में संचालित हेल्पडेस्क पर नियुक्त कर्मचारियों को पीड़ित महिलाओं के साथ संवेदनशीलता, शालीनता का व्यवहार का किये जाने हेतु कार्यशाला का किया गया आयोजन ।

आज दिनांक 27.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या- म०स०प्र०/डी०जी०/प-01/2023 के निर्देश के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा अवस्थित सभाकक्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गयी **3rd Interactive Meeting** मे दिये गये निर्देशो एवं सुझाव के संबंध में जनपद के महिला थाना एवं अन्य थानों में संचालित महिला हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारियों को पीडित महिलाओं के साथ पूरी संवेदनशीलता व शालीनता का व्यवहार किये जाने हेतु एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर० के० गौतम, सीसीटीएनएस प्रभारी अंकुर जायसवाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए रहमान रशीद सहित महिला थाना एवं अन्य थानों में संचालित हेल्पडेस्क पर नियुक्त समस्त महिला आरक्षी मौजूद रही ।



नवरात्रि व रमजान माह के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **27.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के ई-चालान किये गये ।

